

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE AND LABOUR INSTITUTES REGIONAL LABOUR INSTITUTE, FARIDABAD (ANISO9001:2015certified Institution) (INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)

> Training Programon "OSH Measures during Confined Space Work and Hot Work" (09th-11thJuly,2025)

DGFASLI&RLI, FARIDABAD

The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI) is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as a technical arm to assist the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Occupation Safety and Health at workplace. It also enforces safety and health statutory provisions in major ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Subordinate Offices of DGFASLI, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the North Indian States / UTs.

ABOUT THE PROGRAM

Workplace can be hazardous places to work, with numerous potential hazards and risks present. Scaffolding works are extensively carried out at construction sites / inside factory premises to facilitate various works. Majority of accidents / injuries are attributable to non- compliance of safety procedures during execution of these works. Participants will learn about safety provisions/measures to be observed while planing/executing confined space work and hot work minimizing risks and ensuring a secure work environment. It is essential that all safety professionals help develop and sustain workplace cultures that are driven by safety culture — not only regulatory consequences.

This program intends to benefit the safety officers / safety professionals / supervisors working at construction sites / inside factory premises in managing risks at ALARP levels.

OBJECTIVE

The primary objective of this training program is to enhance participants' understanding of occupational safety and health (OSH) measures specifically related to confined space work and hot work operations. These high-risk activities pose significant hazards such as toxic atmospheres, fire, and explosion risks, which require strict control measures and adherence to regulatory standards. Through this program, participants will gain the knowledge and skills necessary to identify potential hazards, implement safe systems of work including permit-to-work systems, atmospheric testing, ventilation, and use of personal protective equipment— and develop effective emergency response procedures. The training aims to foster a safety-first mindset, reduce workplace incidents, and ensure compliance with national and international safety standards.

PROGRAM HIGHLIGHTS

> National Policy on Safety Health and Environment at Workplace (NPSHEW)

> Overview of Permit-to-Work related provisions in confined Space Work and Hot Work at workplace

> Aspects of Industrial Hygiene related to confined Space Work and Hot Works

- Process of Hazard Identification and Risk Assessment
- Emergency Response & Rescue Provision
- Heat Wave Awareness Session
- Case Study Discussion

PARTICIPATION

This programme is designed for professionals employed in the field of OSH, production, planning, training of Factories/Port/Construction Sites, especially Executives, Managers, Safety Officers, Technical Officers and Allied Professionals, Supervisor. However, anyone interested in the above training programme may also join.

DATE, TIMINGS, MODE

09th-11thJune,2025(Threedays) 1000to1700hrs.OFFLINEMODE

VENUE

Nalanda Conference Room, Regional Labour Institute, Sector-47, Faridabad– 12101, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, on or before 07^{th} July, 2025.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Excluding Boarding and Lodging) perparticipant through Bharatkosh portal (https://bharatkosh.gov.in) may be deposited online by using the following steps only after nomination confirmed from the Course Coordinator.

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to https://bharatkosh.gov.in
- Select: Quick Payment
- 🗕 Ministry: 021 Labour & Employment
- Purpose: Training and servicesfees
- Pay & Account Office(PAO): 030050-PAO, CLC, New Delhi
- 🖊 DDO: 202195- Regional Labour Institute, Faridabad
- Remarks: OSH Measures during Confined Space Work and Hot Works-RLIF

ACCOMMODATION

Currently, no accommodation facility is available in the institute premises due to administrative reasons.

TRAINING COORDINATOR

Dr. Saket Kumar Pandey Dy..Director (Safety) Regional Labour Institute Sector-47,Faridabad-121 010 Contact: (O)129-2985536 Email:saketk.pandey@dgfasli.nic.in & rlifaridabad@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM					
Training Prog	ram on "OSH Measures during (Confined Space	Work and Hot Works " (09th - 11th July, 2025)		
		AT			
<u>REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR – 47, FARIDABAD – 121010</u>					
PARTICIPANT'S DETAILS					
Name	(Block Letters)	:			
Design	ation	:			
Addres	ss for Communication	:			
Age		:			
Qualifi	cation	:			
Total E	Experience	:			
Mobile	e No.	:			
	DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION				
Name	& Address	:			
Teleph	none No. / Mobile No.	:			
E-mail	[:			
Fax No	Э.	:			
Accom	modation	:	Required / Not Required		
PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Receipt No. and date) :					
BELONGS TO :- :					
(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*) *=North Eastern Region Place:					
-North Easter	n Region Place.				
Date:			SIGNATURE OF PARTICIPANT		
Date.			SIGNATURE OF FACTICITAN		



भारत सरकार श्रम और रोजगार मत्रालय *फैक्टरी सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय** **क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद** **(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)** **(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)**

"औद्योगिक क्षेत्रों में भौतिक खतरों की निगरानी और नियंत्रण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (09 से 11 ज़ुलाई 2025)

DGFASLI एवं RLI, फरीदाबाद

फैक्टरी सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है और यह मंत्रालय को व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने में सहायता प्रदान करता है तथा राज्य सरकारों और फैक्टरियों को कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी वैधानिक प्रावधानों को लागू करने का भी कार्य करता है।

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद, DGFASLI के अधीनस्थ कार्यालयों में से एक है, जो उत्तर भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता एवं सेवाएं प्रदान करता है। **कार्यक्रम के बारे में**

कार्यस्थल कई संभावित खतरों और जोखिमों के साथ खतरनाक स्थान हो सकते हैं। निर्माण स्थलों/फैक्टरी परिसर के अंदर विभिन्न कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए मचान कार्य व्यापक रूप से किए जाते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएँ/चोटें इन कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण होती हैं। प्रतिभागी मचान को सुरक्षित रूप से बनाए रखने और संचालित करने, जोखिमों को कम करने और एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का तरीका सीखेंगे। यह आवश्यक है कि सभी सुरक्षा पेशेवर कार्यस्थल संस्कृतियों को विकसित करने और बनाए रखने में मदद करें जो सुरक्षा संस्कृति द्वारा संचालित हों --- न कि केवल विनियामक परिणामों द्वारा। यह कार्यक्रम निर्माण स्थलों/फैक्टरी परिसर के अंदर कार्यरत सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा पेशेवरों/पर्यवेक्षकों को जोखिमों को ALARP स्तर पर प्रबंधित करने में लाभान्वित करने का इरादा रखता है।

<u>उद्देश्य</u>

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभागियों की सीमित स्थान कार्य और गर्म कार्य संचालन से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (OSH) उपायों की समझ को बढ़ाना है। ये उच्च-जोखिम वाली गतिविधियाँ विषाक्त वातावरण, आग और विस्फोट जैसे महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं, जिनके लिए सख्त नियंत्रण उपायों और विनियामक मानकों का पालन आवश्यक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रतिभागी संभावित खतरों की पहचान करने, कार्य के सुरक्षित तरीके लागू करने --- जिसमें कार्य-अनुमति प्रणाली, वायुमंडलीय परीक्षण, वेंटिलेशन, और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग शामिल है --- और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ विकसित करने का ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे। यह प्रशिक्षण एक सुरक्षा-प्रथम मानसिकता को बढ़ावा देने, कार्यस्थल घटनाओं को कम करने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

<u>कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ</u>

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति (NPSHEW)
- सीमित स्थान कार्य और गर्म कार्य से संबंधित कार्य-अनुमति प्रावधानों का अवलोकन
- सीमित स्थान कार्य और गर्म कार्य से संबंधित औद्योगिक स्वच्छता के पहलू
- 🕨 खतरों की पहचान और जोखिम आकलन की प्रक्रिया
- 🕨 🛛 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं बचाव प्रावधान
- गर्मी की लहर के प्रति जागरूकता सत्र
- 🕨 केस स्टडी चर्चा

<u>भागीदारी</u>

यह कार्यक्रम OSH, उत्पादन, योजना, फैक्टरियों/बंदरगाहों/निर्माण स्थलों के प्रशिक्षण में कार्यरत पेशेवरों, विशेष रूप से कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंधकों, सुरक्षा अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और संबंधित पेशेवरों, पर्यवेक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति भी शामिल हो सकता है

तिथि, समय, मोड

09 जून - 11 जून, 2025 (तीन दिन) सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ऑफलाइन मोड

स्थान

कांफ्रेंस रूम, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद - 12101, हरियाणा

नामांकन

नामांकन **07 जुलाई, 2025** तक या उससे पहले कोर्स समन्वयक को ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

<u> प्रशासनिक विवरण</u>

संस्थान शुल्क @ रु 5000/- (आवास एवं भोजन को छोड़कर) प्रति प्रतिभागी भारतकोश पोर्टल (https://bharatkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

निम्नलिखित चरणों का पालन **केवल कोर्स समन्वयक से नामांकन की पुष्टि होने के बाद ही करें।

- **Wisit to <u>https://bharatkosh.gov.in</u>**
- **4** Select: Quick Payment
- **H** Ministry: **021 Labour & Employment**
- Furpose: **Training and services fees**
- Pay & Account Office (PAO): 030050 PAO, CLC, New Delhi
- DDO 202195 Regional Labour Institute, Faridabad
- Remarks: Physical Hazards in Industries-RLIF

आवास व्यवस्था

प्रशासनिक कारणों से वर्तमान में संस्थान परिसर में आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है।

<u>प्रशिक्षण समन्वयक</u>

डॉ. साकेत कुमार पांडेय उप निदेशक (सुरक्षा) क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010 संपर्क: (कार्यालय) 129-2985536 ईमेल: saketk.pandey@dgfasli.nic.in एवं rlifaridabad@dgfasli.nic.in

	नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म	
प्रशिक्षण कार्यक्रम "स	नीमित स्थान कार्य एवं गर्म कार्य के दौरान OSH उपाय" (09 - 11 ज	जुलाई , 2025)
	<u>स्थान</u>	
	क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद 121010	
प्रतिभागी के विवरण		
नाम	:	
पदनाम	:	
संचार के लिए पता	:	
आयु	:	
योग्यता	:	
कुल अनुभव	:	
मोबाइल नंबर	:	
, ,	:	
प्रायोजक संगठन का विवरण नाम एवं पत	π :	
टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर		
ई-मेल		
	:	
फैक्स नंबर		<u>.</u>
आवास भुगतान विवरण (भारतकोश रसीद नंबर और तिथि)	: आवश्यक / आवश्य :	≀यक नही
श्रेणी :-		
(सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / वि	पेछड़ा वर्ग /	
दिव्यांग / उत्तर-पूर्वी क्षेत्र*	:	
स्थान:		
दिनांक:		
		प्रतिभागी के हस्ताक्षर